



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rsmssb.rajasthan.gov.in

Tel. : 0141-2722520

क्रमांक: प.8(108)RSSB/प.आ./कनि.अनु.सी.भ.प./2024/207

दिनांक: 30/5/24

विज्ञापित

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के विज्ञापन संख्या 09/2024 क्रमांक 2524 दिनांक: 11.03.2024 के द्वारा निम्न तालिका में अंकित सीधी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। इन परीक्षाओं का आयोजन तालिका में अंकित कार्यक्रमानुसार किया जावेगा:-

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा दिनांक व पारी(Shift)	परीक्षा का समय	Mode of Exam
1.	Jr. Instructor (Refrigeration and AC Technician) Direct Recruitment Exam 2024 कनिष्ठ अनुदेशक (रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग टेक्निसियन) सीधी भर्ती परीक्षा 2024	27-06-2024 (गुरुवार) One Shift	10.00 AM to 12-00 Noon.	CBT cum OMR
2.	Jr. Instructor (Fitter) Direct Recruitment) Direct Recruitment Exam 2024 कनिष्ठ अनुदेशक (फिटर) सीधी भर्ती परीक्षा 2024	29-06-2024 (शनिवार) Two Shift	(I) 10.00 AM to 12-00 Noon. (II) 03.00 PM to 05.00 PM.	CBT cum OMR
3.	Jr. Instructor (Electrician) Direct Recruitment Exam 2024 कनिष्ठ अनुदेशक (इलेक्ट्रीशियन) सीधी भर्ती परीक्षा 2024	30-06-2024 (रविवार) Two Shift	(I) 10.00 AM to 12-00 Noon. (II) 03.00 PM to 05.00 PM.	CBT cum OMR

अतः उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि:-

1. आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञापितियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
2. परीक्षा का प्रकार (Mode of Exam) CBT cum OMR होगा अर्थात् प्रश्न पत्र Computer पर दिखाई देगा एवं उत्तर के घयन हेतु ऑफलाइन ओ.एम.आर. शीट का उपयोग किया जावेगा।
3. परीक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे पाँच विकल्प/गोले दिए जायेंगे। पहले चार विकल्प/गोला A,B,C और D उपयुक्त उत्तर से संबंधित तथा पाँचवा विकल्प/गोला 'E' अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा।
4. अभ्यर्थी को ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर, संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु A,B,C या D अर्थात् पहले चार में से केवल एक विकल्प/गोला नीले बॉल पॉइन्ट पेन से गहरा कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो पाँचवा विकल्प/गोले 'E' को गहरा करना होगा।
5. यदि पांचों विकल्पों में से कोई भी विकल्प/गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंकों का 1/3 भाग काट लिया जावेगा।
6. 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प/गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
7. प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प/गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
8. परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश, ट्रेसकोड तथा "प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र" बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर यथासमय अपलोड कर दिये जावेंगे तथा विज्ञापित द्वारा डाउनलोड करने की दिनांक यथासमय सूचित कर दी जावेगी। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
9. परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञापित द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।

चेतावनी :- परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे/बहकावे में नहीं आवें तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न Social Media पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2(घ) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) में संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरुद्ध, राज0 सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान हैं, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।


(मेजर जनरल आलोक राज)
अध्यक्ष